दिल्ली परिवहन निगम
(रा० रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट : नई दिल्ली–2
राजभाषा विभाग (मुख्यालय)

संख्या–रा०भा०वि०–14(1)/2019/35   दिनांक: 04-07-2019

विषयः– हिन्दी टिप्पण –प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता – 2019 (स्वेच्छा से) कार्य करने की मूल्यांकन अवधि 01–07–2018 से 31–12–2018 तक।

महोदय,

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने एवं प्रचार–प्रसार करने तथा कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के अधीन हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड, 20 राजपत्रित अधिकारियों तथा 33 अराजपत्रित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार राशि, पदक व प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। इस प्रतियोगिता के लिये अधिकारी वर्ग के लिये 20 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है। यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषीय अधिकारियों को दिये जायेंगे। इस प्रतियोगिता के लिये हिन्दी में कार्य करने की मूल्यांकन की अवधि 01–07–18 से 31–12–2018 तक निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता की नियमावली एवं फार्म इसके साथ संलग्न है।

समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस प्रतियोगिता में केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भेजें जिनके हिन्दी में किए गए कार्यों से वे स्वयं संतुष्ट हों। साथ में यह भी अनुरोध है कि इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्म भी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

ITDHQ/19/1434
12-7-19

आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने यूनिट/अनुभाग/विभाग/कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतियोगिता के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मूल्यांकन की अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें ताकि निर्धारित समय से पहले सम्बंधित प्रपत्रों को भाषा विभाग, दिल्ली सरकार को भेजा जा सके। निरीक्षण संबंधी सूचना अलग से यथासमय दे दी जायेगी।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

टीपः संबधित जानकारी विभाग की वेबसाइट
www.artandculture.delhigovt.nic.in
पर देखी जा सकती है।

संलग्न नियमावली एवं प्रपत्र(फार्म)

भवदीय,
धर्मपाल
(धर्मपाल)
प्रशिक्षक (हिन्दी)

सभी यूनिट/अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपिः– श्री संजय जैन, उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सी–विंग, सातवां तल, आई०पी० एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002 के पत्र संख्या–फा.सं. 08(03)/2019–20/क० सं० एवं भाषा/ 475–575 दिनांक 19–06–2019 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रस्तुत।

प्रतिलिपिः– मुख्य महाप्रबन्धक (तक०/हि०) के ई–मेल दिनांक 20–06–2019 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रस्तुत।

प्रतिलिपिः– प्रबन्धक (आई०टी०) को दि०प०नि० की वेबसाइट में अपलोड करने के सम्बंध में।

हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) की नियमावली (वर्ष 2019–2020)

1. इस प्रतियोगिता का नाम हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) होगा।

2. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिल्ली सरकार के विभागों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में सरकारी कामकाज के प्रति रूचि पैदा करना है ।

3. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग, दिल्ली नगर निगम (पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसको लि0, हिन्दी आशुलिपिक, हिन्दी अकादमी, दिल्ली पुलिस तथा किसी अन्य विभाग के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के समस्त विभागों/स्वायत्त निकायों/निगम के अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

4. **इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन की अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018 (01 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018) तक होगी ।**

5. उपर्युक्त अवधि में हिन्दी में लिखी टीपों/प्रारूपों की जांच की जायेगी ।

6. टीप के बीच में आए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दों पर कोई आपत्ति नहीं होगी । हिन्दी में नोट लिखते समय किसी अंग्रेजी शब्द को देवनागरी/रोमन में लिखने पर टीप हिन्दी में ही मानी जायेगी । व्याकरण/वर्तनी (स्पेलिंग) की छोटी–मोटी भूलों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा ।

7. टीप में "देखा", "धन्यवाद", "कृपया चर्चा करें", "फाईल करें" इत्यादि शब्दों को भी एक–एक लाईन माना जायेगा।

8. हिन्दी में सबसे अधिक कार्य करने वाले विभाग को विभागीय पुरस्कार के रूप में एक राजभाषा शील्ड भी दी जायेगी।

9. इस प्रतियोगिता से संबंधित प्रोफार्मा भरकर दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 तक भिजवाना आवश्यक है।

10. प्रतियोगिता में दो वर्ग होंगें (1) अधिकारी वर्ग, इस वर्ग में अधीक्षक, समकक्ष एवं उच्च अधिकारी तथा (2) कर्मचारी वर्ग में लिपिक से लेकर सहायक के पद तक तथा अपने विभाग में डायरी, डिस्पैच, अन्य सरकारी कार्य या उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया विभागीय कार्य हिन्दी में करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित होंगे।

11. दोनों वर्गो में पुरस्कार राशि निम्न प्रकार से होंगीः–

	पुरस्कारों की संख्या	**वर्तमान राशि**
(1) अधिकारी वर्ग	20 पुरस्कार	4000/–रूपये (प्रत्येक)
(2) कर्मचारी वर्ग	प्रथम पुरस्कार	4000/–रूपये (एक)
	द्वितीय पुरस्कार	3000/–रूपये (एक)
	तृतीय पुरस्कार	2000/–रूपये (एक)
	प्रोत्साहन पुरस्कार	800/–रूपये (तीस)(प्रत्येक)

12. इस प्रतियोगिता में 4600/–रुपये या उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत समस्त (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग सहित) कर्मचारी, अधिकारी वर्ग में सम्मिलित होंगे।

13. अधिकारी वर्ग में 5 पुरस्कार अहिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जाने का प्रस्ताव है यदि अहिन्दी भाषी अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर ये पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारियों को दिये जायेंगे ।

14. निर्धारित प्रपत्र में अहिन्दी भाषी (अधिकारी/कर्मचारी) लिखाना अनिवार्य है।

15. इस प्रतियोगिता में दिल्ली सरकार के भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय/संस्थान के **राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी** भाग नहीं लेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य एवं अध्यापक भी भाग नहीं ले सकेंगे।

16. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) को प्रतियोगिता के नियमों में तथा पुरस्कारों की राशि में फेरबदल करने का पूरा अधिकार होगा। इस संबंध में किसी शिकायत पर सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

17. इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा जिनकी संस्तुति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की गई होगी।

18. नियमों की व्याख्या अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिये कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग में टेलीफोन संख्या 23392307 पर संपर्क किया जा सकता है।

(संजय जैन)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्याः 011–23392001–06
इन्टरकॉम नम्बरः 3715

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग)

हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतियोगिता (स्वेच्छा से) वर्ष 2019–2020 में भाग लेने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाला निर्धारित प्रपत्र :–

(मूल्यांकन की अवधि 01.07.2018 से 31.12.2018 (01 जुलाई, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक))

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. पदनाम **(ग्रेड पे सहित)** :

4. विभाग का नाम व पूरा पता दूरभाष/मोबाईल संख्या सहित **(दूरभाष संख्या लिखना अनिवार्य है)** :

5. **हिन्दी में किए गए कार्यों का ब्यौरा (प्रतिलिपि सहित)** :

6. अहिन्दी भाषी/हिन्दी भाषी **(लिखना अनिवार्य है))** :

7. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर :

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं मोहर

नोटः कृपया प्रपत्र भरने से पूर्व संलग्न नियमावली अवश्य पढ़ें।